न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

.त संख्या : 15/251

कैलाश आयु 31 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भासू जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 02.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम भजनेरी तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

ान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए र्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार नैनवा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जवाब पेश किया था जिसमें उनके द्वारा वादी द्वारा दावा करने से पूर्व प्रेषित किये गये नोटिस को प्राप्त नहीं होना अंकित किया था जो गलत है । पत्रावली पर अपीलान्ट द्वारा दिलवाए गये नोटिस प्राप्ति रसीद मौजूद है । इस प्रकार उक्त निर्णय जल्दीबाजी में गैर कानूनी रूप से कानून के सिद्धान्तों की अवलेलना करके पारित किया गया है । साथ ही प्रतिवादी की ओर से कोई काउन्टर क्लेम नहीं होने के उपरानत भी अपीलान्ट को विवादित भूमि से कब्जा छोडने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर गैर कानूनी रूप से पाबन्द किया है इस आधार उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवाय चक भूमि है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है जिससे वह बेदखली का अधिकारी है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । अपीलान्ट ने उक्त वाद कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु निवेदन किया है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसके अनुसार उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहता है । वादग्रस्त आराजी यदि अपीलान्ट का कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे वह बेदखली का अधिकारी है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/251

कैलाश आयु 31 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भासू जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 127/दावा/2012

कैलाश आयु 31 वर्ष आत्मज स्वर्गीय भासू जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 02.05.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 02.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषकता स्वीकार